न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री नमित मेहता, आई.ए.एस.

राजस्व विविध : 62/2021
जी.सी.एम.एस. : 2021/186

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थी
1. जोगाराम पुत्र श्री लक्ष्मण 2. भूराराम पुत्र श्री लक्ष्मण 3. वगताराम पुत्र हटाराम के का.मु.:– 3/1. डोवाराम पुत्र श्री वगताराम 3/2. बाबूलाल पुत्र श्री वगताराम 3/3. पकाराम पुत्र श्री वगताराम 3/4. नेनाराम पुत्र श्री वगताराम 3/5. हीराराम पुत्र श्री वगताराम के का. मुकाम :– 3/5/1. सजनादेवी पत्नी श्री हीराराम 3/5/2. भीखाराम पुत्र श्री हीराराम 3/5/3. बुधाराम पुत्र श्री हीराराम 3/5/4. लाबूराम पुत्र श्री हीराराम 3/5/5. दुर्गेश पुत्र श्री हीराराम 4. सवीया पुत्र श्री जगाराम, जातिगण राईका (देवासी), निवासीगण गांव सुमेर, तहसील देसूरी, जिला पाली (राज.)		राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, देसूरी (राज.)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 54 राज.भू राजस्व अधिनियम 1956 सपठित धारा 151 सीपीसी

उपस्थित :– प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश पंवार
अप्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार

–: निर्णय :–

दिनांक:– 20.10.2022

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 54 राज.भू राजस्व अधिनियम 1956 सपठित धारा 151 सी पी सी के तहत न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, देसूरी में विचाराधीन प्रकरण संख्या 36/2019 बअनवान जोगाराम व अन्य बनाम सरकार को किसी अन्य समकक्ष न्यायालय में स्थानान्तरण कराने हेतु प्रस्तुत किया है, जो दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड मय पीठासीन अधिकारी की टिप्पणी तलब किया गया साथ ही बहस उभयपक्ष सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दिनांक 01.08.2006 को उपखण्ड अधिकारी, देसूरी के समक्ष पेश की गई थी। जिस पर राजस्व विविध प्रकरण संख्या 114/2006 बअनवान जोगाराम वगैरह बनाम सरकार दर्ज किया गया था। उक्त राजस्व विविध प्रकरण बाद सुनवाई दिनांक 29.07.2009 को खारिज किया गया था। जिससे असंतुष्ट होकर प्रार्थीगण द्वारा एक अपील माननीय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर द्वारा उक्त अपील स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी देसूरी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.07.2009 को निरस्त किया गया था तथा अधीनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, देसूरी को यह निर्देश प्रदान किये गये कि गांव सुमेर के पूर्व खसरा संख्या 02 से द्वितीय बन्दोबस्त में नवसृजित खसरों की भूमि के मिलान क्षेत्रफल की जाँच कर मौके पर रकबे का सत्यापन करते हुए मौके के अनुसार नये सिरे से अभिलेख संशोधन की कार्यवाही करे। उक्त निर्देश पर पत्रावली लौटाने पर प्रकरण पुनः न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, देसूरी में दर्ज हुआ परन्तु उनके निर्देशानुसार कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं हुई बल्कि राजस्व केम्प लोक अदालत में रीडर द्वारा प्रार्थीगण को खाली आदेशिका पर अगुष्ठ करवा विश्वास दिलाया कि रेकर्ड में सुधार कर दिया जायेगा, लेकिन बाद में आदेशिका इसके विपरीत लिखीजाकर प्रार्थना–पत्र में प्रार्थीगण को

जिला कलेक्टर, पाली

समझाईश होना बताकर खारिज कर दिया गया। तत्पश्चात दिनांक 11.11.2019 से दो तीन दिवस पूर्व तहसीलदार देसूरी द्वारा प्रार्थीगण को मौके से खसरा संख्या 374 व 375 की भूमि से बेदखल करने के नोटिस पर अंगुठे का निशान करवा सात दिवस में भूमि खाली करने के निर्देश दिये, जिस अधीनस्थ न्यायालय में रिव्यू प्रार्थना–पत्र प्रकरण को पुनः रिस्टोर हेतु प्रस्तुत किया गया है, जो प्रकरण वर्तमान में जोगाराम बनाम सरकार राजस्व विविध 36/2019 के रूप में दर्ज है। उक्त प्रकरण में न तो जवाब की कोई प्रति अधिवक्ता प्रार्थीगण को दी गई थी, न ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अधिवक्ता प्रार्थीगण को प्रकरण पर सुना गया था। उक्त प्रकरण की परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सुनवाई किये ही प्रकरण में अपनी पूर्व सोच स्थापित कर ली है। अतः उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय से न्याय प्राप्त होने की कोई आशा नहीं रही है जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सुनवाई के ही प्रकरण में निर्णय खुले न्यायालय में सुना दिया गया है तो इन परिस्थितियों में प्रार्थीगण अब प्रकरण की सुनवाई अधीनस्थ न्यायालय में नहीं करवाना चाहते है। अतः उक्त प्रकरण की परिस्थितियों से स्पष्ट है कि इस प्रकरण में न्यायपूर्ण सुनवाई की उम्मीद नहीं रह गई है। अतः प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय से प्रकरण समान अधिकारिता वाले अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित करने के आदेश प्रदान करावे।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस के दौरान वकील प्रार्थी की बहस का खण्डन करते हुए बताया कि वांछित प्रार्थना–पत्र में वर्णित मूल प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया जा चुका है जिस निर्णय को रिस्टोर हेतु पुनर्विलोकन प्रार्थना–पत्र विचाराधीन है जिसे अन्य समकक्ष न्यायालय में स्थानान्तरित करवाना चाहते है परन्तु मूल प्रकरण का निर्णय होने के पश्चात पुनर्विलोकन प्रार्थना–पत्र को अन्य समकक्ष न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र सव्यय खारिज फरमावे।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त टिप्पणी का भी अवलोकन किया गया। जिससे यह प्रतीत होता है कि वांछित प्रार्थना–पत्र में वर्णित मूल प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया जा चुका है जिस निर्णय को रिस्टोर हेतु पुनर्विलोकन प्रार्थना–पत्र विचाराधीन है जिसे अन्य समकक्ष न्यायालय में स्थानान्तरित करवाना चाहते है परन्तु मूल प्रकरण का निर्णय होने के पश्चात पुनर्विलोकन प्रार्थना–पत्र को अन्य समकक्ष न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 54 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20.10.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(समित मेहता)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली